E-mail

न्यायालयः— गिरीश कुमार शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प.नि. खरगोन मध्यप्रदेश

कमांक 1000/आप./2026 खरगोन, दि. 05/06/2026

:: आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 ::

प्रतिलिपीः—

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर.
2. श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.
3. श्रीमान विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, अजा/अजजा मण्डलेश्वर.
4. श्रीमान् प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डलेश्वर.
5. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बड़वाह.
6. श्रीमान् तृतीय/चतुर्थ/षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भीकनगांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सनावद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महोदय खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय खरगोन की ओर आदेश की प्रतिलिपि अति.पुलिस अधीक्षक, समस्त अनु.अधि.पुलिस जिला खरगोन एवं अजाक तथा समस्त थाना प्रभारी जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
11. न्यायिक मजिस्ट्रेट (समस्त) प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी खरगोन/भीकनगांव/सनावद/बडवाह/मण्डलेश्वर/महेश्वर/कसरावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
12. वन मंडलाधिकारी खरगोन.
13. जिला आबकारी अधिकारी खरगोन की ओर आदेश की प्रतिलिपि समस्त आबकारी उपनिरीक्षक जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
14. अतिरिक्त क्षैत्रिय परिवहन अधिकारी खरगोन.
15 श्रम पदाधिकारी खरगोन.
16. उपसंचालक अभियोजन खरगोन.
17. उप संचालक खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग.
18. उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र.शासन खंडवा.
19. जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि समस्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खरगोन, भीकनगांव, सनावद, बड़वाह, महेश्वर, मण्डलेश्वर, कसरावद की ओर ज्ञापन की प्रतिलिपियां प्रेषित कर इस न्यायालय को अवगत कराने की व्यवस्था करें।
20. अध्यक्ष अभिभाषक संघ खरगोन, भीकनगांव, सनावद, बड़वाह, मण्डलेश्वर, महेश्वर, कसरावद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
21. सिस्टम आफिसर, मण्डलेश्वर की ओर न्यायालय की वेब साईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
22. सिस्टम असिंस्टेंट खरगोन की ओर समस्त विभागों की ओर परिचालनार्थ प्रेषित।

स्थान — खरगोन
दिनांक —05/06/2026

(गिरीश कुमार शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला मण्डलेश्वर, म.प्र.

न्यायालय–गिरीश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिम निमाड खरगोन
जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

क्रमांकः– /आप./26 खरगोन, दिनांकः– / /2026

––//आपराधिक कार्य विभाजन ज्ञापन वर्ष–2026//––

मैं गिरीश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन, जिला पश्चिम निमाड (म. प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डलेश्वर पदस्थापना पर पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं कार्यवाहियों के उचित रूप से कार्य, वितरण/संपादन हेतु पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेशों एवं अन्य समस्त संशोधित आदेशों को अतिष्ठित (सुपरसीड) करते हुए, निम्नानुसार उक्त कार्य विभाजन करता हूँ।

यह आदेश दिनांक / /**2026** से प्रभावशील होगा।

क.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	क्षेत्राधिकार	सौंपा गया आपराधिक कार्य
1	**गिरीश कुमार शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन,**	**1 आरक्षी केन्द्र खरगोन** **2 आरक्षी केन्द्र मेनगांव एवं जैतापुर** **3 यातायात थाना खरगोन** **4. महिला आरक्षी केन्द्र खरगोन** **5. सम्पूर्ण जिला खरगोन से संबंधित अन्य अधिनियमों के मामलें**	1. आरक्षी केन्द्र **खरगोन, मेनगांव, जैतापुर, यातायात व महिला आरक्षी केन्द्र खरगोन** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, उनके समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया।(उक्त थाना क्षेत्र के **परिवाद मामलो को छोड़कर**) 2. **सिटी कोतवाली, मेनगांव, जैतापुर, भगवानपुरा, बिस्टान, उन, गोगांवा, बरूड** के क्षेत्राधिकार के धारा 138 परक्राम्य लिखत अधि0 के आपराधिक प्रकरण **(जिनमें चेक राशि 20,00,001/– रूपये या उससे अधिक हो।)** 3. तेजाब फैककर क्षति या उपहति कारित करने विषयक आपराधिक प्रकरण। 4. अति. क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी खरगोन द्वारा प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 तथा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. कॉपीराईट एक्ट के प्रकरण। 7. **आबकारी वृत्त खरगोन–अ, ब एवं स की** सीमा क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, उनके विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 8. आरक्षी केन्द्र **खरगोन, गोगांवा, बरूड, भगवानपुरा, बिस्टान, उन, मेनगांव** तथा **जैतापुर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354क, ख, ग, घ, 493

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन प.नि. (म.प्र.)

			से 498 ए बी सी 509 अथवा भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85, 86 व 79 एवं महिलाओं के विरूद्ध होने वाले ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के साथ किये जा सकते है, से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां **(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम व धारा 125, 125(3) को छोडकर)।** 9. राजस्व तहसील **खरगोन** की निर्धारित सीमाओ से उद्भुत "Indian Forest Act And Wild Life Act", ''"Water(Prevention Control Of Pollution) Act, 1974 , Air (Prevention Control Of Pollution) Act 1981" एवं "Environment Protection Act" से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक सी–5900/ii-6-6/90 दिनांकित 03.09.2025 एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश के पत्र क. –2479/सा.ले. मण्डलेश्वर दिनांकित 10.09.2025 के आलोक में)** 10. आरक्षी केन्द्र **खरगोन, गोगांवा, बरूड, भगवानपुरा, बिस्टान, उन, मेनगांव व जैतापुर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण। 11. सिनेमाटोग्राफ एक्ट से संबंधित समस्त मामलें। 12. केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट 1989 से संबंधित समस्त मामलें। 13. माईन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट से संबंधित आरक्षी केंद्र **खरगोन, मेनगांव, जैतापुर, ऊन, बरूड़, गोगांवा, बिस्टान एवं भगवानपुरा तथा राजस्व तहसील खरगोन, भगवानपुरा, गोगांवा एवं सेंगाव** के समस्त मामलें। 14. श्रम विधि/कारखाना अधिनियम से संबंधित मामलें। 15. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियां। 16. दुकान एवं संस्थान अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत प्रकरण। 17. खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रकरण। 18. आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण। 19. नगर पालिका अधि. 1961 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 20. औषधी एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रकरण।

जिला न्यायाधीश
खरगोन (म.प्र.)

			21. धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रकरण। 22. जिले के समस्त थानों से संबंधित ई.आर. (खारिजी)। 23. काईम ब्रांच, सी.आई.डी. सायबर ब्रांच एवं अन्य समस्त जांच ऐजेंसियां, जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है, के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा, खारिजी। 24. ऐसे अधिनियमों या नियमों से संबंधित मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन ज्ञापन में नहीं है लेकिन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य हो।
2.	**श्री रोहित कुमार** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन, पश्चिम निमाड	**आरक्षी केन्द्र भगवानपुरा, उन**	1. आरक्षी केन्द्र **भगवानपुरा (भगवानपुरा के पूर्ववर्ती ग्रामों को छोड़कर) व थाना उन** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण व उनकी समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **खरगोन** के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अन्य समस्त परिवाद प्रकरण। (यातायात को छोडकर) 3. आरक्षी केन्द्र **खरगोन, भगवानपुरा (भगवानपुरा के पूर्ववर्ती ग्रामों को छोड़कर) व थाना उन** की सीमाक्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण राशि 01/– रूपये से 20,00,000/– रूपये तक. 4. आरक्षी केन्द्र **खरगोन, भगवानपुरा, उन** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम व धारा 125, 125(3) व अन्य भरण–पोषण, वसूली योग्य प्रकरण। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
3	**श्रीमती सविता वर्मा** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन, पश्चिम निमाड खरगोन, म.प्र.,	**आरक्षी केन्द्र बिस्टान**	1. आरक्षी केन्द्र **बिस्टान** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण व उनके समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहीया। 2. आरक्षी केन्द्र **महिला आरक्षी केन्द्र** के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त परिवाद प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र **मेनगांव, बिस्टान** की सीमाक्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के राशि 01/– रूपये से 20,00,000/– रूपये तक के मामले। 4. आरक्षी केन्द्र **बिस्टान** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम व धारा

प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन प.नि. (म.प्र.)

			125, 125(3) व अन्य भरण–पोषण, वसूली योग्य प्रकरण। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
4	**श्री विनयसिंह राजपूत,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन, पश्चिम निमाड खरगोन, म.प्र.,	**आरक्षी केन्द्र गोगावा**	1. आरक्षी केन्द्र **गोगांवा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण व उनके समस्त विविध प्रकरण व कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **मेनगांव** के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अन्य समस्त परिवाद प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र **जैतापुर व गोगांवा** की सीमाक्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण राशि राशि 01/– रूपये से 20,00,000/– रूपये तक के मामले। 4. आरक्षी केन्द्र **गोगांवा, मेनगांव** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम व धारा 125, 125(3) व अन्य भरण–पोषण, वसूली योग्य प्रकरण। 5. तहसील खरगोन स्थित रहे ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, की निष्पादन कार्यवाहिंया एवं स्थाई वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर/अन्यथा आने वाले समस्त प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहिया। 6. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
5	**श्री कमलेश वरवनिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन, पश्चिम निमाड खरगोन, म.प्र.	**आरक्षी केन्द्र बरूड़**	1. आरक्षी केन्द्र **बरूड़** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण व उनके विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **जैतापुर** के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अन्य समस्त परिवाद प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र **बरूड़** की सीमाक्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण राशि राशि 01/– रूपये से 20,00,000/– रूपये तक के मामले। 4. आरक्षी केन्द्र **बरूड़ व जैतापुर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम व धारा 125, 125(3) व अन्य भरण–पोषण, वसूली योग्य प्रकरण। ए 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत्

प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन प.नि. (म.प्र.)

			निराकरण करना।
6	**श्रीमती मीता पंवार जंदेल** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसरावद	**आरक्षी केन्द्र कसरावद**	1. आरक्षी केन्द्र **कसरावद एवं थाना मेनगांव के पूर्ववर्ती ग्रामों** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, उनके समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया। 2. **ए–आबकारी वृत्त** कसरावद की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। **(माह अक्टूबर से दिसम्बर तक)।** **बी–** यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय में पूर्व से कोई रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है और अभियोग–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो उक्त अपराध से संबंधित अभियोग–पत्र के संबंध में अपराध के संज्ञान एवं विचारण का क्षेत्राधिकार उसी न्यायालय को होगा, जहां ऐसी रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है। 3. आरक्षी केन्द्र **कसरावद एवं थाना मेनगांव के पूर्ववर्ती ग्रामों** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 4. राजस्व तहसील **कसरावद** की निर्धारित सीमाओ से उद्भुत "Indian Forest Act And Wild Life Act", ''"Water(Prevention Control Of Pollution) Act, 1974 , Air (Prevention Control Of Pollution) Act 1981" एवं "Environment Protection Act" से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक सी–5900/ii-6-6/90 दिनांकित 03.09.2025 एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश के पत्र क. –2479/सा.ले. मण्डलेश्वर दिनांकित 10.09.2025 के आलोक में)** 5. आरक्षी केन्द्र **कसरावद एवं थाना मेनगांव के पूर्ववर्ती ग्रामों** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 6. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र **कसरावद** तथा राजस्व तहसील **कसरावद** के समस्त मामले। 7. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना । **टीप :–** श्रीमती मीता पंवार जंदेल, न्या.मजि.प्र.श्रे. के दीर्घ प्रसूति अवकाश पर रहने की अवधि में, उनके अवकाश पर जाने से लेकर अवकाश से लौटने तक, उपर्युक्त सारणी

प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय प.नि. (म.प्र.)

			<u>में दर्शित समस्त प्रकार के प्रकरण सुश्री इतिशा सांघवी, न्या.मजि.प्र.श्रे. कसरावद के न्यायालय में प्रस्तुत होकर पंजीकृत किए जाएंगे तथा उनका विधि अनुसार निराकरण किया जाएगा।</u> <u>श्रीमती मीता पंवार जंदेल के अवकाश से वापस लौटने पर उक्त उपर्युक्त टीप स्वतः निरस्त मानी जाएगी।</u>
7	**सुश्री इतीशा सांघवी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसरावद	**आरक्षी केन्द्र बलकवाडा**	1. आरक्षी केन्द्र **बलकवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, उनके समस्त विविध प्रकरण व कार्यवाहियां। 2. **ए–आबकारी वृत्त** कसरावद की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। **<u>(माह अप्रैल से अगस्त तक)</u>।** 3. आरक्षी केन्द्र **बलकवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र **बलकवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 5. तहसील कसरावद स्थित रहे ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, की निष्पादन कार्यवाहिंया एवं स्थाई वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहिया। 6. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र **बलकवाडा** के समस्त मामले। 7. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना ।
8	**श्री निर्भयसिंह गर्वा** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भीकनगांव एवं न्यायाधीकारी ग्राम न्यायालय भीकनगांव	**1. आरक्षी केन्द्र भीकनगांव, भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम)** **2. ग्राम न्यायालय अधि0 2008**	1. आरक्षी केन्द्र **भीकनगांव (भगवानपुरा के पूर्ववर्ती ग्राम)** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनके समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. **ए–आबकारी वृत्त भीकनगांव** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, उनके विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। **<u>(माह अप्रैल से जून एवं अक्टूबर से दिसंबर तक)</u>।** **बी**–यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय में पूर्व से कोई रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है

न्याय न्यायिक मजिस्ट्रेट
उज्जैन ग्रा.नि. (म.प्र.)

			और अभियोग–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो उक्त अपराध से संबंधित अभियोग–पत्र के संबंध में अपराध के संज्ञान एवं विचारण का क्षेत्राधिकार उसी न्यायालय को होगा, जहां ऐसी रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है। 3. राजस्व तहसील **भीकनगांव** की निर्धारित सीमाओ से उद्भुत "Indian Forest Act And Wild Life Act", ""Water(Prevention Control Of Pollution) Act, 1974 , Air (Prevention Control Of Pollution) Act 1981" एवं "Environment Protection Act" से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक सी–5900/ii-6-6/90 दिनांकित 03.09.2025 एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश के पत्र क. –2479/सा.ले. मण्डलेश्वर दिनांकित 10.09.2025 के आलोक में)** 4. (मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय) संपूर्ण थाना क्षेत्र से उत्पन्न ग्राम न्यायालय अधिनियम से संबंधित आपराधिक कार्यवाहिया जो माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के अदेशानुसार। 5. आरक्षी केन्द्र **भीकनगांव** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण, जिनमे सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 6. आरक्षी केन्द्र **भीकनगांव एवं भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम)** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 के प्रकरण। 7. तहसील भीकनगांव स्थित रहे ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, की निष्पादन कार्यवाहिंया एवं स्थाई वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहिया। 8. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र **भीकनगांव, चैनपुर** एवं **गोगावॉ की अहिरखेडा चौकी** तथा राजस्व तहसील **भीकनगांव** एवं **झिरन्या** के समस्त मामले। 09. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
9	**श्री राजेन्द्र बर्मन** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भीकनगांव	**1. आरक्षी केन्द्र चैनपुर** **2. आरक्षी केन्द्र गोगांवा की अहिरखेडा चौकी**	1. आरक्षी केन्द्र **चैनपुर व गोगांवा की अहिरखेड़ा चौकी** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उनके समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. **ए–आबकारी वृत्त भीकनगांव** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। **(माह जुलाई से सितम्बर तक)।**

न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीकनगांव (म.प्र.)

			बी–यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय में पूर्व से कोई रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है और अभियोग–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो उक्त अपराध से संबंधित अभियोग–पत्र के संबंध में अपराध के संज्ञान एवं विचारण का क्षेत्राधिकार उसी न्यायालय को होगा, जहां ऐसी रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है। 3. आरक्षी केन्द्र **चैनपुर, गोगांवा की अहिरखेड़ा चौकी** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 4. आरक्षी केन्द्र **चैनपुर, थाना गोगावां की अहिरखेडा चौकी एवं भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम)** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण, जिनमे सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 5. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो की विधिवत् निराकरण करना।
10	**सुश्री आकांक्षा गर्ग,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद	**आरक्षी केन्द्र बैडिया**	1. आरक्षी केन्द्र **बैडिया** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनके समस्त विविध प्रकरण व कार्यवाहियां एवं अन्य विविध कार्यवाहियां। 02. राजस्व तहसील **सनावद** की निर्धारित सीमाओ से उद्भुत "Indian Forest Act And Wild Life Act", ''"Water(Prevention Control Of Pollution) Act, 1974 , Air (Prevention Control Of Pollution) Act 1981" एवं "Environment Protection Act" से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक सी–5900/ii-6-6/90 दिनांकित 03.09.2025 एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश के पत्र क. –2479/सा.ले. मण्डलेश्वर दिनांकित 10.09.2025 के आलोक में)** 3. **आबकारी वृत्त– सनावद** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। **(माह अप्रैल से अगस्त तक)।** 3. आरक्षी केन्द्र **बैडिया** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 4. आरक्षी केन्द्र **बैडिया** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सुवासरा (म.प्र.)

			वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना ।
11	**श्री योगेश चालीसा** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद	**आरक्षी केन्द्र सनावद**	1. आरक्षी केन्द्र **सनावद** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं उनके समस्त विविध प्रकरण व कार्यवाहियां एवं अन्य विविध कार्यवाहियां 2. **आबकारी वृत्त– सनावद** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। **(माह सितम्बर से दिसम्बर तक)।** 3. आरक्षी केन्द्र **सनावद** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 4. आरक्षी केन्द्र **सनावद** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 5. सनावद स्थित रहे ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, की निष्पादन कार्यवाहिंया एवं स्थाई वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहिया। 6. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र **सनावद, बैडिया** तथा राजस्व तहसील सनावद के समस्त मामले। 7. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना ।
12	**कु. वंदना मालवीय** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वाह	**आरक्षी केन्द्र बडवाह व बलवाडा**	1. आरक्षी केन्द्र **बडवाह व बलवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां एवं अन्य विविध कार्यवाहियां। 2. राजस्व तहसील **बडवाह** की निर्धारित सीमाओ से उद्भुत "Indian Forest Act And Wild Life Act", ""Water(Prevention Control Of Pollution) Act, 1974 , Air (Prevention Control Of Pollution) Act 1981" एवं "Environment Protection Act" से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक सी–5900/ii-6-6/90 दिनांकित 03.09.2025 एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश के पत्र क. –2479/सा.ले. मण्डलेश्वर दिनांकित 10.09.2025 के**

न्यायिक मजिस्ट्रेट
सनावद प.नि. (म.प्र.)

			आलोक में) 3. **आबकारी वृत्त– बडवाह की** सीमा क्षेत्र से उत्पन्न **म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत्** प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, उनके विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 4. आरक्षी केन्द्र **बडवाह व बलवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 5. आरक्षी केन्द्र **बडवाह व बलवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 6. तहसील बडवाह स्थित रहे ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, की निष्पादन कार्यवाहिंया एवं स्थाई वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहिया। 7. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र **बडवाह व बलवाडा** तथा राजस्व तहसील **बडवाह** के समस्त मामले। 8. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना ।
13	**श्री मोहित बडके** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर एवं न्यायाधीकारी ग्राम न्यायालय मण्डलेश्वर टेलीफोन नम्बर	**1. आरक्षी केन्द्र मण्डलेश्वर** **2. ग्राम न्यायालय अधि0 2008**	1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रस्तुत होने वाले प्रकरण, जिनमें विचारण की अधिकारिता ग्राम न्यायाधिकारी मण्डलेश्वर को है एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां एवं अन्य विविध कार्यवाहिया किंतु **ए–** आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों का क्षेत्राधिकार की अवधि **(माह अक्टूबर से दिसंबर तक)।** **बी–**यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय में पूर्व से कोई रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है और अभियोग–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो उक्त अपराध से संबंधित अभियोग–पत्र के संबंध में अपराध के संज्ञान एवं विचारण का क्षेत्राधिकार उसी न्यायालय को होगा, जहां ऐसी रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है। 2. आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण । 3. आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमाक्षेत्र से उत्पन्न होने

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन (म.प्र.)

			वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण राशि 1,50,000/– रूपये से अधिक के प्रकरण। 4. राजस्व तहसील **महेश्वर (आरक्षी केन्द्र महेश्वर एवं करही की सीमाओ को छोडकर)** की निर्धारित सीमाओ से उद्भुत "Indian Forest Act And Wild Life Act", ''"Water(Prevention Control Of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention Control Of Pollution) Act 1981" एवं "Environment Protection Act" से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक सी–5900/ii-6-6/90 दिनांकित 03.09.2025 एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश के पत्र क. –2479/सा.ले. मण्डलेश्वर दिनांकित 10.09.2025 के आलोक में)** 5. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र मण्डलेश्वर तथा टप्पा मण्डलेश्वर के समस्त मामले। 6. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
14	**सुश्री प्रितिबाला मुनिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर		1. आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों का क्षेत्राधिकार की अवधि **(माह अप्रैल से सितम्बर तक)।** **ए**–यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय में पूर्व से कोई रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है और अभियोग–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो उक्त अपराध से संबंधित अभियोग–पत्र के संबंध में अपराध के संज्ञान एवं विचारण का क्षेत्राधिकार उसी न्यायालय को होगा, जहां ऐसी रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है। 2. आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमाक्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के राशि 01/– रूपए से 1,50,000/– रूपये तक के प्रकरण। 3. मण्डलेश्वर स्थित रहे ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, की निष्पादन कार्यवाहिंया एवं स्थाई वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहिया। 4. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोद्य एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
15	**श्री अभिषेक साहू** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महेश्वर	**आरक्षी केन्द्र महेश्वर**	1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रस्तुत होने वाले प्रकरणो, जिनमें विचारण की अधिकारिता ग्राम न्यायाधिकारी मण्डलेश्वर को है, एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण

न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डलेश्वर (म.प्र.)

			जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **महेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, उनके विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 2. **ए–आबकारी वृत्त महेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। **(माह अप्रैल से जून एवं अक्टूबर से दिसंबर तक)।** **बी–**यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय में पूर्व से कोई रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है और अभियोग–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो उक्त अपराध से संबंधित अभियोग–पत्र के संबंध में अपराध के संज्ञान एवं विचारण का क्षेत्राधिकार उसी न्यायालय को होगा, जहां ऐसी रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है। 3. राजस्व तहसील **महेश्वर (आरक्षी केन्द्र मण्डलेश्वर की सीमाओ को छोडकर)** की निर्धारित सीमाओ से उद्भुत "Indian Forest Act And Wild Life Act", ''"Water(Prevention Control Of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention Control Of Pollution) Act 1981" एवं "Environment Protection Act" से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक सी–5900/ii-6-6/90 दिनांकित 03.09.2025 एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश के पत्र क. –2479/सा.ले. मण्डलेश्वर दिनांकित 10.09.2025 के आलोक में)** 4. आरक्षी केन्द्र **महेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण, जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 5. आरक्षी केन्द्र **महेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 6. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र महेश्वर तथा राजस्व तहसील महेश्वर के समस्त मामले। 7. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
16	**सुश्री दिव्या विश्वकर्मा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महेश्वर	**आरक्षी केन्द्र करही**	1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रस्तुत होने वाले प्रकरण, जिनमें विचारण की अधिकारिता ग्राम न्यायाधिकारी मण्डलेश्वर को है एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **करही** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डलेश्वर (म.प्र.)

			समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां एवं अन्य विविध कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **करही** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 3. **ए–आबकारी वृत्त महेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। **(माह जुलाई से सितम्बर तक)।** **बी–** यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय में पूर्व से कोई रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है और अभियोग–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो उक्त अपराध से संबंधित अभियोग–पत्र के संबंध में अपराध के संज्ञान एवं विचारण का क्षेत्राधिकार उसी न्यायालय को होगा, जहां ऐसी रिमाण्ड कार्यवाही संचालित है या रही है। 4. आरक्षी केन्द्र **करही** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 5. आरक्षी केन्द्र **करही** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 6. तहसील महेश्वर स्थित रहे ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, की निष्पादन कार्यवाहिंया एवं स्थाई वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमाण्ड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहिया। 7. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र **करही** के समस्त मामले। 8. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।

// सामान्य आदेश //

01. इस कार्य विभाजन पत्रक से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
02. इस आदेश निर्वहन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
03. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।
04. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तहसील मंडलेश्वर, भीकनगांव के ग्रामीण क्षेत्र के वे सभी प्रकरण, जो ग्राम न्यायालयों के द्वारा विचारण योग्य है, ग्राम न्यायालयों के समक्ष ही प्रस्तुत किये जावेंगे।
05. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे प्रकरणों के अभियोग–पत्र एवं विविध आपराधिक प्रकरण नहीं लेंगे जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार म0प्र0 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को प्राप्त है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन म.नि. (म.प्र.)

06. जिले में पदस्थ प्रत्येक मजिस्ट्रेट सार्वजनिक अवकाशों में दोपहर 3 से 5 बजे तक **<u>आवश्यक रिमाण्ड डयूटी</u>** संचालित करेगें।

<u>नोट–</u> <u>किसी न्यायालय के आवश्यक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित कंडिका में उल्लेखित कार्य माने जावेंगे।</u>

A. रिमांड, जमानत, हाजरी माफी आवेदन, वाहन, सुपुर्दगीनामा एवं धारा 164 द0प्र0सं0/183 बी.एन.एस.एस. के आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों के सशक्त होने पर समरी प्रकिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान, जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करना चाहता है।

B. प्रभार के न्यायालय में ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना, जो वृद्धावस्था तथा बीमारी अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारंट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यन्त व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो या जहॉ से उसे आहूत करना असुविधाजनक व असंभव हो। ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापिस करेंगे।

C. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगें, जो समरी प्रकिया के तहत् विचारणीय हो एवं अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करने हेतु तत्पर हो तथा ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।

07. संबंधित मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति एवं सी0जे0एम0 से निर्देश प्राप्त करके अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत **चलित न्यायालय** संचालन कर सकेंगे।

08. मोटर वाहन दुघर्टना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लाइसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।

09. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उर्पापण कार्यवाही के दौरान उर्पापण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्धेमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे। धारा 306, 304–बी भादवि/108, 80 बी.एन.एस. के प्रकरणों में एफ0एस0एल0 रिपोर्ट की उपलब्धता भी देख ली जावे।

10. जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

11. विचाराधीन बण्डल फाइल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे0एम0एफ0सी0 के न्यायालय में भेजे जावे।

12. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने–अपने आरक्षी केन्द्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले खारजी के अतिरिक्त समस्त खात्मा, जिनकी सुनवाई हेतु वह सक्षम है, का निराकरण करेंगे।

13. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश व मुख्यालय से बाहर रहने के आवेदन पत्र श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, को सी0जे0एम0 के माध्यम से प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति आवश्यक रूप से उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।

14. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164/183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलेख संलग्न सूची कमांक–1 अनुसार किया जावेगा।

15. धारा–340 द0प्र0सं0/379 भा.ना.सु.सं. के न्यायिक जिला मण्डलेश्वर के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र सी.जे.एम. के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन प.नि. (म.प्र.)

16. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर/अनुपस्थित रहने की दशा में आवश्यक कार्यभार अनुसूची कमांक–2 के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

17– धारा 176 दंप्रसं/196 बी.एन.एस.एस के तहत मृतक जेल बंदियों की जांच हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरगोन को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:–

वर्ष 2026–2027

कं	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक अधिकारी
1	खरगोन, भगवानपुरा,	श्री रोहित कुमार न्या.मजि.प्र.श्रे. खरगोन
2	बिस्टान व गोगांवा	श्रीमती सविता वर्मा न्या.मजि.प्र.श्रे. खरगोन
3	ऊन व बरूड	श्री कमलेश वरवनिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. खरगोन
4	महिला आरक्षी केन्द्र खरगोन, मेनगांव व जैतापुर	श्री विनयसिंह राजपूत, न्या.मजि.प्र.श्रे. खरगोन
5	कसरावद, बलकवाडा	सुश्री इतीशा सांघवी न्या.मजि.प्र.श्रे. कसरावद
6	मण्डलेश्वर	श्री मोहित बडके न्या.मजि.प्र.श्रे. मण्डलेश्वर
7	महेश्वर	श्री अभिषेक साहू, न्या.मजि.प्र.श्रे. महेश्वर
8	करही	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा न्या.मजि.प्र.श्रे. महेश्वर
9	बडवाह, बलवाडा, सनावद व बैडिया	कु. वंदना मालवीय, न्या.मजि.प्र.श्रे. बडवाह
10	भीकनगांव	श्री राजेन्द्र बर्मन न्या.मजि.प्र.श्रे. भीकनगांव
11	चैनपुर व गोगांवा की अहिरखेड़ा चौकी	श्री निर्भयसिंह गर्वा न्या.मजि.प्र.श्रे. भीकनगांव

18– प्रभारी मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मृत्यु जांच उनके प्रभार में कार्य का निष्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी और प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति की दशा में अनुसूची **क.–2** अनुसार प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

स्थान – खरगोन
दिनांक – / /2026
संलग्न – अनुसूची कमांक 1 एवं 2

(गिरीश कुमार शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला–मण्डलेश्वर (म.प्र.)

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर

Principal District & Sessions Judge
West Nimar, Mandleshwar (M.P.)

न्यायालयः—गिरीश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन, प0नि0

—// अनुसूची कमांक 1 //—

धारा 164 द.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों के अभिलेखों का कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा दिनांक / 05/2026 से निम्नानुसार संपादित किया जावेगा।

क	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभारी न्यायालय का नाम	द्वितीय प्रभारी न्यायालय का नाम	तृतीय प्रभारी न्यायालय का नाम
1.	बरूड, मेनगॉव एवं महिला थाना खरगोन (केवल महिलाओ के विरूद्ध कारित आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन के सुनवाई क्षेत्राधिकार के हो)	श्री विनयसिंह राजपूत न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्रीमती सविता वर्मा न्या.म.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री रोहित वर्मा न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
2.	खरगोन, एवं गोगावॉ (अहिरखेडा चौकी को छोडकर) (केवल महिलाओं के विरूद्ध कारित आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन के सुनवाई क्षेत्राधिकार के हो)	श्रीमती सविता वर्मा न्या.म.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री कमलेश वरवनिया न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री रोहित कुमार न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
3.	बिस्टान उन, (केवल महिलाओं के विरूद्ध कारित आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन के सुनवाई क्षेत्राधिकार के हो)	श्री कमलेश वरवनिया न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री विनयसिंह राजपूत न्या.म.प्र0श्रे0 खरगोन	श्रीमती सविता वर्मा न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
4.	भगवानपुरा जैतापुर (केवल महिलाओं के विरूद्ध कारित आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन के सुनवाई क्षेत्राधिकार के हो)	श्री रोहित कुमार, न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री कमलेश वरवनिया न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री विनयसिंह राजपूत न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
5.	आरक्षी केंद्र खरगोन, मेनगांव, जैतापुर, भगवानपुरा, गोगांवा, बरूड़, बिस्टान एवं ऊन के **बाल न्यायालय** से संबंधित	श्री कमलेश वरवनिया न्या.म.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री विनयसिंह राजपूत न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री रोहित वर्मा न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
6.	खरगोन, भगवानपुरा एवं उन	श्री विनयसिंह राजपूत न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री कमलेश वरवनिया न्या.म.प्र0श्रे0 खरगोन	श्रीमती सविता वर्मा न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
7.	गोगावॉ (अहिरखेडा चौकी को छोडकर)	श्रीमती सविता वर्मा न्या.म.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री रोहित वर्मा न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्री कमलेश वरवनिया न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
8.	मेनगांव, जैतापुर, बिस्टान	श्री रोहित वर्मा न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री कमलेश वरवनिया न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री विनयसिंह राजपूत न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन

9.	बरूड़	श्रीमती सविता वर्मा न्या.म.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री विनयसिंह राजपूत न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री रोहित वर्मा न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
10.	कसरावद एवं मेनगांव के पूर्ववर्ती ग्राम,	श्री मोहित बडके न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर,	श्री अभिषेक साहू न्या0मजि.प्र0श्रे0 महेश्वर,
11.	बलकवाड़ा	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर,	श्री मोहित बडके न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा न्या0मजि.प्र0श्रे0 महेश्वर,
12.	कसरावद	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर,	श्री मोहित बडके न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा न्या0मजि.प्र0श्रे0 महेश्वर,
	श्रीमती मीता पंवार जंदेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसरावद, के प्रसूति अवकाश से लौटने पर आरक्षी केन्द्र कसरावद से उद्भूत धारा 164 द.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथन श्रीमती इतीशा संघवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कसरावद तथा आरक्षी केन्द्र बलकवाडा से उदभूत उक्त संस्वीकृतियां एवं कथन श्रीमती मीता पंवार जंदेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कसरावद द्वारा अभिलिखित किए जावेंगे।			
13.	भीकनगॉव	श्री राजेन्द्र बर्मन न्या.मजि.प्र.श्रेणी भीकनगांव	श्री कमलेश वरवनिया न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री रोहित वर्मा न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
14.	चैनपुर एवं आरक्षी केन्द्र गोगावॉ की अहिरखेडा चौकी	श्री निर्भयसिंह गर्वा न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री विनयसिंह राजपूत न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्रीमती सविता वर्मा न्या.म.प्र0श्रे0 खरगोन
15.	सनावद	सुश्री आकांक्षा गर्ग, न्या0मजि.प्र0श्रे0 सनावद	सुश्री वंदना मालवीय न्या0मजि.प्र0श्रे0 बडवाह	श्री मोहित बडके न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर
16.	बैडिया	श्री योगेश चालीसा न्या0मजि0प्र0श्रे0 सनावद	सुश्री वंदना मालवीय न्या0मजि.प्र0श्रे0 बडवाह	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर
17.	बडवाह	श्री योगेश चालीसा न्या0मजि0प्र0श्रे0 सनावद	सुश्री आंकाक्षा गर्ग, न्या0मजि.प्र0श्रे0 सनावद	श्री मोहित बडके न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर
18.	बलवाडा	सुश्री आकांक्षा गर्ग, न्या0मजि.प्र0श्रे0 सनावद	श्री योगेश चालीसा न्या0मजि0प्र0श्रे0 सनावद	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर
19.	मण्डलेश्वर	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री अभिषेक साहू, न्या0मजि.प्र0श्रे0 महेश्वर	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा न्या0मजि.प्र0श्रे0 महेश्वर
20.	महेश्वर	श्री कमलेश साहू न्या0मजि.प्र0श्रे0 महेश्वर	श्री मोहित बडके न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर
21.	करही	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा न्या0मजि.प्र0श्रे0 महेश्वर	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री मोहित बडके न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर
22.	अजाक थाना खरगोन	श्री विनयसिंह राजपूत, न्या0मजि0प्र0श्रे0 खरगोन	श्री कमलेश वरवनिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. खरगोन	श्रीमती सविता वर्मा न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी खरगोन

नोटः–

1. पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मामले में भी उपरोक्तानुसार कथन लिये जावे।
2. उपरोक्त अनुसार तीनों प्रभारी के अवकाश पर रहने पर प्रभार अनुसूची कमांक–2 के अनुसार लागू होंगी।
3. उपरोक्त अनुसार अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में अथवा अधिकृत मजिस्ट्रेट पर संबंधित थाना होने से उक्त प्रकरण उनके स्वयं के द्वारा विचारण योग्य होने पर धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन कथन लिये जाने हेतु **अनुसूची–2** अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जावेगी एवं **अनुसूची–2** के प्रभारी मजिस्ट्रेट पर संबंधित थाना होने की दशा में अन्य कमवर्ती मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कथन लिये जावेंगे।

स्थान – खरगोन
दिनांक – / /2026

गिरीश कुमार शर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन,
पश्चिम न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन प.नि. (म.प्र.)

न्यायालय–गिरीश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन
जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

क्रमांकः– /आप./26 खरगोन, दिनांकः– / /2026

आपराधिक कार्य विभाजन ज्ञापन वर्ष–2026 में एन.डी.पी.एस. एक्ट के संबंध में

मैं गिरीश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन, जिला पश्चिम निमाड, मध्य प्रदेश खरगोन द्वारा जारी दिनांक 28.03.2023 के एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत जप्त मादक पदार्थ के धारा 52ए एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों से संबंधित कार्य विभाजन पत्रक में प्रचलित करने का आदेश करता हूँ।

क	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभारी न्यायालय का नाम	द्वितीय प्रभारी न्यायालय का नाम	तृतीय प्रभारी न्यायालय का नाम
1	खरगोन, गोगांवा, (अहिरखेडा चौकी को छोडकर) (आबकारी **वृत्त 'अ'** के अंतर्गत आने वाले एन. डी.पी.एस. के मामले)	श्री विनयसिंह राजपूत, न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्री रोहित वर्मा न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्री कमलेश वरवनिया न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
2	मेनगांव, जैतापुर, बरूड़ एवं (आबकारी **वृत्त 'ब'** के अंतर्गत आने वाले एन. डी.पी.एस. के मामले)	श्री कमलेश वरवनिया न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्रीमती सविता वर्मा, न्या0मजि.न्या.मजि.प्र. श्रेणी खरगोन	श्री विनयसिंह राजपूत, न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
3	भगवानपुरा, उन (आबकारी **वृत्त 'स' खरगोन** के अंतर्गत आने वाले एन.डी.पी.एस. के मामले)	श्री रोहित वर्मा न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्री विनयसिंह राजपूत, न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्री कमलेश वरवनिया न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
4.	**बिस्टान**	श्रीमती सविता वर्मा न्या.मजि.प्र.श्रे. खरगोन	श्री रोहित वर्मा न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्री कमलेश वरवनिया न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
5.	भीकनगॉव (आबकारी **वृत्त 'भीकनगांव'** के अंतर्गत आने वाले एन. डी.पी.एस. के मामले)	सुश्री राजेन्द्र कुमार बर्मन न्या0मजि.प्र0श्रे0 भीकनगांव	श्री विनयसिंह राजपूत, न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्री कमलेश वरवनिया न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
6.	**चैनपुर एवं गोगांवा** की अहिरखेडा चौकी	श्री निर्भयसिंह गर्वा न्या.मजि.प्र.श्रे. भीकनगांव	श्री कमलेश वरवनिया न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्री विनयसिंह राजपूत, न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
7.	कसरावद (आबकारी **वृत्त 'कसरावद'** के अंतर्गत आने वाले एन.डी.पी.एस. के मामले)	श्री मोहित बडके, न्या. मजि.प्र.श्रे. मण्डलेश्वर	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि. प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा न्या.मजि.प्र.श्रेणी महेश्वर

8.	आरक्षी केन्द्र बलकवाड़ा	श्री मोहित बडके, न्या. मजि.प्र.श्रे. मण्डलेश्वर	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री अभिषेक साहू, न्या0मजि.प्र0श्रे0 महेश्वर
नोट :–	श्रीमती मीता पंवार जंदेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसरावद के प्रसूति अवकाश से लौटने पर आरक्षी केन्द्र कसरावद से उद्भूत धारा–52 एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही श्रीमती इतीशा संघवी, न्या.मजि.प्र.श्रे. कसरावद एवं आरक्षी केन्द्र बलकवाडा से संबंधित उक्त कार्यवाही श्रीमती मीता पंवार जंदेल, न्या.मजि.प्र.श्रे. कसरावद द्वारा सम्पन्न की जावेगी।			
9	सनावद (आबकारी **वृत्त 'सनावद'** के अंतर्गत आने वाले एन.डी.पी.एस. के मामले)	सुश्री आंकाक्षा गर्ग, न्या0मजि.प्र0श्रे0 सनावद	कु. वंदना मालवीय न्या0मजि.प्र0श्रे0 बडवाह	श्री मोहित बडके न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर
9.	बैडिया	श्री योगेश चालीसा, न्या.मजि.प्र.श्रे. सनावद	कु. वंदना मालवीय न्या0मजि.प्र0श्रे0 बडवाह	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर
10	बडवाह (आबकारी **वृत्त 'बड़वाह'** के अंतर्गत आने वाले एन.डी.पी.एस. के मामले)	सुश्री आंकाशा गर्ग, न्या.मजि.प्र.श्रे. सनावद	श्री योगेश चालीसा, न्या0मजि0प्र0श्रे0 सनावद	श्री मोहित बडके न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर
	बलवाडा	श्री योगेश चालीसा, न्या0मजि0प्र0श्रे0 सनावद	सुश्री आंकाशा गर्ग, न्या0मजि0प्र0श्रे0 सनावद	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर
11	**मण्डलेश्वर**	सुश्री प्रितिबाला मुनिया, न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री अभिषेक साहू, न्या.मजि.प्र.श्रेणी महेश्वर	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा न्या.मजि.प्र.श्रेणी महेश्वर
12	महेश्वर, (आबकारी **वृत्त 'महेश्वर'** के अंतर्गत आने वाले एन.डी.पी.एस. के मामले)	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा न्या.मजि.प्र.श्रेणी महेश्वर.	सुश्री प्रितिबाला मुनिया न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री मोहित बडके न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर
13	करही	श्री अभिषेक साहू न्या.मजि.प्र.श्रेणी महेश्वर.	श्री मोहित बडके न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	सुश्री प्रितिबाला मुनिया न्या0मजि.प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर

नोटः–

1. तहसील–भीकनगांव, कसरावद, महेश्वर के अंतर्गत उत्पन्न धारा–52ए एन.डी.पी.एस. की कार्यवाही हेतु आवेदन ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे, जिन्हें कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार तत्समय ऐसे प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।

2. उपरोक्त अनुसार तीनों प्रभारी के अवकाश पर रहने पर प्रभार अनुसूची कमांक–2 के अनुसार लागू होंगी।

स्थान – खरगोन
दिनांक – / /2026

(गिरीश कुमार शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला–महेश्वर (म.प्र.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन प.नि. (म.प्र.)

न्यायालयः— गिरीश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन जिला पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश

—// अनुसूची कमांक 2 //—

मैं गिरीश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन, जिला पश्चिम निमाड, मध्य प्रदेश खरगोन जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश/पद रिक्त (स्थांनातरण होने के आलोक में)अथवा अनुपस्थिति की दशा में उनके न्यायालयों के आवश्यक आपराधिक कार्यभार के संबंध में **वर्ष— 2026** हेतु निम्नानुसार कार्य व्यवस्था के लिये आदेशित करता हूँ :—

क	न्यायालय का नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/पदरिक्त/अनुपस्थिति में कार्य करने वाले प्रभारी न्या. के नाम		
1	**श्री गिरीश कुमार शर्मा** सी.जे.एम. खरगोन	**श्री रोहित कुमार वर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री विनयसिंह राजपूत,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री कमलेश वरवनिया,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
2	**श्री रोहित कुमार वर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री विनयसिंह राजपूत,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री कमलेश वरवनिया,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्रीमती सविता वर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
3	**श्रीमती सविता वर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री कमलेश वरवनिया,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री विनयसिंह राजपूत,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री रोहित कुमार वर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
4	**श्री विनयसिंह राजपूत,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री रोहित कुमार वर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री कमलेश वरवनिया,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्रीमती सविता वर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
5	**कमलेश वरवनिया,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्रीमती सविता वर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री विनयसिंह राजपूत,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री रोहित कुमार वर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
6	**श्री निर्भयसिंह गर्वा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी भीकनगांव	**श्री राजेन्द्र बर्मन** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी भीकनगांव	**श्री विनयसिंह राजपूत,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री कमलेश वरवनिया,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
7	**श्री राजेन्द्र बर्मन** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी भीकनगांव	**श्री निर्भयसिंह गर्वा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी भीकनगांव	**श्री रोहित कुमार वर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री विनयसिंह राजपूत,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
8	**श्रीमती मीता पंवार जंदेल,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी कसरावद	**सुश्री इतीशा सांघवी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी कसरावद	**श्री मोहित बडके** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**सुश्री प्रितिबाला मुनिया** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर
9	**सुश्री इतीशा सांघवी** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी कसरावद	**श्रीमती मीता पंवार जंदेल,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी कसरावद	**सुश्री प्रितिबाला मुनिया** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**श्री मोहित बडके** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर
10	**श्री अभिषेक साहू** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर	**सुश्री दिव्या विश्वकर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर	**श्री मोहित बडके** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**सुश्री प्रितिबाला मुनिया** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर
11	**सुश्री दिव्या विश्वकर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर	**श्री अभिषेक साहू** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर	**सुश्री प्रितिबाला मुनिया** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**श्री मोहित बडके** न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी **मण्डलेश्वर**
12	**श्री मोहित बडके** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**सुश्री प्रितिबाला मुनिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी **मण्डलेश्वर**	**श्री अभिषेक साहू** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर	**सुश्री दिव्या विश्वकर्मा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर
13	**सुश्री प्रितिबाला मनिया**	**श्री मोहित बडके**	**सुश्री दिव्या विश्वकर्मा**	**श्री अभिषेक साहू**

	न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर	न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर
14	**श्री योगेश चालीसा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	**सुश्री आकांक्षा गर्ग,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	**सुश्री वंदना मालवीय** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	**श्री मोहित बडके** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर
15	**सुश्री आकांक्षा गर्ग,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	**श्री योगेश चालीसा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	**सुश्री वंदना मालवीय** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	**सुश्री प्रितिबाला मुनिया** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर
16	**सुश्री वंदना मालवीय** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	**श्री योगेश चालीसा** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	**सुश्री आकांक्षा गर्ग,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	**श्री मोहित बडके** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर

नोट– 1– अनुसूची 2 का यह प्रभार किशोर न्यायालय बोर्ड के अनुपस्थिति की दशा में भी लागू होगा।

2– यह स्पष्ट किया जाता हैकि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति की दशा में जिले में कार्यरत सबसे निकटस्थ स्थान के कनिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभारी के रूप में कार्य संपादित किया जाएगा।

स्थान – खरगोन

दिनांक – / /2026

(गिरीश कुमार शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन, पश्चिम निमाड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन प.नि. (म.प्र.)